रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222551
CG-DL-E-19102020-222551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] **नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942**
No. 438] **NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942**

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

विवि.केंका.आरआरबी.सं. 138 /31.04.002/2020-21.—जहां कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने:-

1. 21 दिसम्बर 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 6255(अ) के माध्यम से पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक (इसके बाद "अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में उल्लिखित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है, जिसे पंजाब ग्रामीण बैंक (इसके बाद अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय कपूरथला में होगा, जो 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा;

2. 22 फरवरी 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 985(अ) के माध्यम से असम ग्रामीण विकास बैंक और लांपी देहांगी ग्रामीण बैंक (इसके बाद "अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में उल्लिखित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है, जिसे असम ग्रामीण विकास बैंक (इसके बाद अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय गुवाहाटी में होगा, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा; और

3. 22 फरवरी 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 986(अ) के माध्यम से बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और देना गुजरात ग्रामीण बैंक (इसके बाद "अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के रूप में उल्लिखित) को एकल क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलित किया गया है, जिसे बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (इसके बाद अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में उल्लिखित) कहा जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय वडोदरा में होगा, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा।

उक्त संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद आरबीआई अधिनियम के रूप में उल्लिखित) भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा उपर्युक्त अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर करने और उपर्युक्त अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

लिली वडेरा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./302/2020-21]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

DOR.CO.RRB.No.138/31.04.002/2020-21.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976, has vide:-

1. Notification no. S.O. 6255 (E) dated December 21, 2018, amalgamated Punjab Gramin Bank, Malwa Gramin Bank and Sutlej Gramin Bank (hereinafter referred to as “the transferor Regional Rural Banks”) into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Punjab Gramin Bank (hereinafter referred to as “the transferee Regional Rural Bank”), with its head office at Kapurthala, with effect from January 1, 2019;
2. Notification no. S.O. 985(E) dated February 22, 2019, amalgamated Assam Gramin Vikash Bank and Langpi Dehangi Rural Bank (hereinafter referred to as “the transferor Regional Rural Banks”) into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Assam Gramin Vikash Bank (hereinafter referred to as “the transferee Regional Rural Bank”), with its head office at Guwahati, with effect from April 1, 2019; and
3. Notification no. S.O. 986(E) dated February 22, 2019, amalgamated Baroda Gujarat Gramin Bank and Dena Gujarat Gramin Bank (hereinafter referred to as “the transferor Regional Rural Banks”) into a single Regional Rural Bank which shall be called as Baroda Gujarat Gramin Bank (hereinafter referred to as “the transferee Regional Rural Bank”), with its head office at Vadodara, with effect from April 1, 2019.

In furtherance of the above, in exercise of the powers conferred under clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (hereinafter referred to as “the RBI Act”), the Reserve Bank of India, hereby, directs the exclusion of the aforesaid transferor Regional Rural Banks from the second schedule of RBI Act and the inclusion of the aforesaid transferee Regional Rural Banks in the second schedule of the RBI Act.

LILY VADERA, Executive Director

[ADVT-III/4/Exty./302/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM